(60)

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल)

शोध उपाधि अध्यादेश–2011

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 32 (3) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत यह शोध उपाधि अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है। यह अध्यादेश उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, शोध उपाधि अध्यादेश–2011 कहा जायेगा, तथा पूर्व अध्यादेश को उपान्तरित करेगा।

1.00 आमुख (Preamble)

विश्वविद्यालय के शोध उपाधि अध्ययन का उद्देश्य नई पीढ़ी के शोधार्थियों को उच्च अनुसंधान की दिशा में देश व राज्य की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप नवीनतम पहलुओं और समस्याओं पर शोध करने के साथ साथ शोध प्रविधि का वैज्ञानिक व गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देना है।

पीएचडी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत न्यूनतम मानक एवं दिशानिर्देश–2009 के अनुरूप उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की उन विद्या शाखाओं द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में उपलब्ध रहेंगे, जहाँ पूर्णकालिक नियमित अध्यापक उपलब्ध हों।

2.0 शोध उपाधि अध्ययन हेतु अर्हता

2.1.0 पीएचडी पाठ्यक्रम हेतु अर्हता

पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्न न्यूनतम अर्हता होना आवश्यक है–

ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने विधि द्वारा स्थापित एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व अनुसंधान परिषदों से मान्यता प्राप्त भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित विषयों में–

2.1.01 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर तथा 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की हो (आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा स्नातक स्तर पर न्यूनतम 45 प्रतिशत) पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप न्यूनतम अर्हता में परिवर्तन किये जा सकते हैं।

2.1.02 विश्वविद्यालय के नियमित अध्यापक अथवा महाविद्यालयों के ऐसे अध्यापक जिन्हें विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार के नियमों के अनुसार पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रदेश दिया जा सकता हो, प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों के लिये शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।

पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति ऐसे अभ्यर्थियों को ही दी जायेगी जो सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हों। अन्तर्विषयी (interdisciplinary) व बहुविषयी (multidisciplinary) शोध अध्ययन को प्रोत्साहित किया जायेगा। ऐसे प्रकरणों में जहां अभ्यर्थी द्वारा बहुविषयी (multidisciplinary) शोध प्रस्तावित किया गया हो, शोध की अनुमति सम्बन्धित विषयों की सम्मिलित शोध उपाधि समिति की स्वीकृति के उपरांत ही दी जायेगी।

3.00 पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रक्रिया

3.01. विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान सुविधा के अनुरूप प्रत्येक वर्ष विभिन्न पीएचडी पाठ्यक्रमों में उपलब्ध विशेषज्ञ / विशिष्टीकरण तथा उपलब्ध स्थानों को विज्ञापित कर प्रवेश आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे।

3.02. पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। प्रत्येक पीएच.डी. पाठ्यक्रम में उपलब्ध स्थानों के सापेक्ष अनारक्षित व आरक्षित श्रेणी के सफल अभ्यर्थियों की अलग अलग श्रेष्ठता सूची बनायी जायेगी तथा सफल अभ्यर्थियों को श्रेष्ठता क्रम के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।

3.03. पीएचडी पाठ्यक्रम हेतु अन्तिम रूप से चयनित किये जाने से पूर्व प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों सहित नेट / स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों तथा अध्यापकों की श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थियों की शोध अभिरूचियों को जानने के लिये विश्वविद्यालय की शोध उपाधि समिति द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिये जाने के पश्चात ही अन्तिम रूप से प्रवेश दिया जायेगा।

3.04. पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति अनुमन्य होगी। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में सम्बन्धित विषय की आरक्षित सीट सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी से भरी जायेगी।

4.00 शोध निर्देशक

पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों के निर्देशन में शोध कार्य करेंगे।

4.01 विश्वविद्यालय के नियमित अध्यापक, सह अध्यापक एवं सहायक अध्यापक सम्बन्धित विषयों के पीएचडी पाठ्यक्रम में शोध निर्देशक होंगे। तथापि किसी शोध समस्या में विशिष्टीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये राज्य के उच्च शोध संस्थानों/विश्वविद्यालयों के विषय विशेषज्ञों को शोध उपाधि समिति की संस्तुति पर सह निर्देशक के रूप में कुलपति द्वारा नामित किया जा सकता है।

4.02 पीएचडी पाठ्यक्रम में शोध निर्देशन हेतु, निर्देशक के पास पीएचडी उपाधि के साथ-साथ न्यूनतम 3 **वर्ष** का शिक्षण एवं शोध कार्य का अनुभव होना आवश्यक होगा। विश्वविद्यालय के ऐसे सहायक अध्यापक जिनके पास न्यूनतम 3 वर्ष का शिक्षण एवं शोध कार्य का अनुभव (पीएचडी उपाधि हेतु शोधकार्य की अवधि को छोड़ कर) नहीं है, शोध उपाधि समिति की संस्तुति पर सह निर्देशक के रूप में शोध निर्देशन कर सकेंगे। अन्तर्विषयी (interdisciplinary) व बहुविषयी (interdisciplinary) शोधकार्य व प्रविधि को बढावा देने हेतु अन्य विषयों के विशेषज्ञों को, जैसी कि आवश्यकता हो, शोध उपाधि समिति की संस्तुति के आधार पर सह निर्देशक नामित किया जायेगा।

4.03 विश्वविद्यालय का कोई भी अध्यापक, सह अध्यापक एवं सहायक अध्यापक अपने निकटतम सम्बन्धी के शोध निर्देशन के लिये अनुमन्य नही होगा। यहां निकटतम सम्बन्धी से तात्पर्य पुत्र, पुत्री, माता, पिता, पति, पत्नी, भाई, बहन, पिता के भाई, बहन, भतीजे, सास,श्वसुर व अन्य सम्बन्धी, जिन्हें कि समय-समय पर विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा चिन्हित किया जायेगा, से होगा।

4.04 पीएचडी पाठ्यक्रम में किसी भी शोध अभ्यर्थी को अपने शोध निर्देशक को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं होगा। तथापि विशेष परिस्थितियों जैसे कि शोध निर्देशक के सेवानिवृत्त हो जाने/विश्वविद्यालय की सेवाओं को छोड़ देने/दीर्घकालीन अवकाश पर चले जाने/निर्देशन में असमर्थता व्यक्त करने पर शोध अभ्यर्थी शोध निर्देशक परिवर्तित करने हेतु विभागीय शोध समिति को आवेदन कर सकता है। विभागीय शोध समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त ऐसी परिस्थितियों में अन्तिम निर्णय हेतु अपनी अनुशंसा शोध निदेशक के माध्यम से कुलपति को प्रेषित की जायेगी।

5.00 शोध निर्देशन हेतु सीटों का निर्धारण

5.01 किसी भी पीएचडी पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय के अध्यापक, सह अध्यापक तथा सहायक अध्यापक एक समय में क्रमशः 6(छः), 4(चार),व 2(दो), छात्रों के शोध निर्देशन हेतु अधिकृत होंगे।

5.02 कोई भी शोध निर्देशक अपने अधीन एक वर्ष में अधिकतम दो से अधिक शोध छात्रों को पंजीकृत नहीं करेगा। अध्यापक, सह अध्यापक के संदर्भ में यह संख्या 02 तथा सहायक अध्यापकों के लिये 01 होगी। किसी अन्य शोधकर्ता को संबंधित विषय विशेषज्ञ को तभी आवंटित किया जायेगा जब पूर्व में आवंटित शोधकर्ता ने शोध ग्रन्थ प्रस्तुत कर दिया हो तथा ऐसे शोध ग्रन्थ की मौखिकी (वाईवा) सम्पन्न हो चुकी हो। तथापि ऐसे शोध निर्देशक जिनके द्वारा विश्वविद्यालय में शोध परियोजनायें संचालित की जा रही होंगी, (अध्यापक, सह अध्यापक तथा सहायक अध्यापक के लिये निर्धारित संख्या के अन्तर्गत) सम्बन्धित वर्ष में एक अतिरिक्त शोधार्थी का पंजीकरण कर सकेंगे। असाधारण परिस्थितियो में यथा श्रेष्ठता क्रम में किन्हीं दो अभ्यर्थियों के एक ही स्थान में आ जाने की स्थिति मे कुलपति द्वारा सम्बन्धित विषय में अतिरिक्त स्थानों जितनी की आवश्यकता हो, की स्वीकृति दी जा सकेगी। लेकिन किसी भी परिस्थिति में यह संख्या **बिन्दु** 5.01 में निर्धारित संख्या से अधिक नहीं होगी।

5.03 विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण कर चुके अध्यापक शोध निर्देशन हेतु अधिकृत नही होंगे तथापि वह ऐसे शोध छात्रों का निर्देशन करते रहेंगे जो अवकाश ग्रहण करने से पूर्व उनके साथ पंजीकृत हों। कोई भी शोध निर्देशक अवकाश ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष पूर्व अपने अधीन शोध छात्रों का पंजीयन नहीं करेगा।

5.04 ऐसे अवकाश प्राप्त अध्यापक जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आई.सी.ए.आर, सी.एस.आई.आर, आई.सी.एस.एस आर,आई.सी.एच.आर अथवा देश के प्रतिष्ठित उच्च अध्ययन संस्थान द्वारा ऐमेरेटस प्रोफेसर/नेशनल प्रोफेसर अथवा वरिष्ठ अध्येता नामित किया गया हो, को विश्वविद्यालय के हित में कार्यपरिषद के अनुमोदन पर शोध निर्देशन हेतु अधिकृत किया जा सकेगा।

6.00 पीएचडी पाठ्यक्रम का संचालन

समस्त पीएचडी पाठ्यक्रम नियमित पाठ्यक्रम की भांति विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में सम्बन्धित शोध निर्देशकों के अर्धान संचालित किये जायेंगे।

7.00 पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश

पीएचडी पाठ्यक्रम हेतु चयनित अभ्यर्थियों के लिये निर्धारित शुल्क के साथ सम्बन्धित विभाग में निर्धारित तिथि तक प्रवेश लेना आवश्यक होगा। केवल ऐसे अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा जिन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा उतीर्ण कर ली हो और जिन्हें शोध उपाधि समिति द्वारा अंतिम रूप से प्रवेश हेतु संस्तुति दे दी गई हो।

8.00 पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश का निरस्तीकरण

8.01 विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश पा चुके अभ्यर्थियों के पंजीकरण को निम्न स्थितियो में निरस्त किया जा सकता है–

- शुल्क का भुगतान न करना।
- असंतोषजनक प्रगति आख्या।
- विश्वविद्यालय के शोध नियमों एवं अन्य नियमों का अनुपालन न करना।
- पाठ्य कार्य पूरा न करना तथा/अथवा शोध ग्रन्थ को निर्धारित समय–सीमा में जमा न करना।

8.02 पीएचडी पाठ्यक्रम में शोध अभ्यर्थी के पंजीकरण की निरंतरता उसके द्वारा किये जा रहे शोध कार्य की संतोषजनक प्रगति आख्या तथा कार्य व्यवहार पर भी आधारित होगी। यदि विभागीय शोध समिति यह पाती है कि शोधकर्त्ता का कार्य, प्रगति आख्या असंतोषजनक तथा कार्य व्यवहार प्रतिकूल है, ऐसी किसी भी परिस्थिति में विभागीय शोध समिति की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है।

8.03 शोध पंजीकरण का निरस्तीकरण संबंधित विभागीय शोध समिति की संस्तुति तथा निदेशक शोध के अग्रसारण पर अन्तिम निर्णय कुलपति द्वारा किया जायेगा।

9.00 पीएचडी पाठ्य कार्य (PhD course work)

पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश पा चुके अभ्यर्थियों को सम्बन्धित विषय में शोधकार्य हेतु पंजीकरण से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश–2009 के अनुरूप सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित छः माह(एक सेमेस्टर) का नियमित पाठ्य कार्य (regular course work) करना आवश्यक होगा। 12 केडिट का यह पाठ्य कार्य (course work) 4–4 केडिट की तीन श्रेणियों–नियमित पाठ्य कार्य, क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं संदर्भ साहित्य सर्वेक्षण एवं शोध समस्या (research problem) पर आधार पत्र व शोध प्रस्तावना–विकसित किये जाने से सम्बन्धित होगा। प्रत्येक दो माह में शोधकर्त्ता के पाठ्य कार्य की प्रास्थिति व प्रगति की समीक्षा की जायेगी। यह पाठ्य कार्य शोधकर्त्ता द्वारा पीएचडी उपाधि हेतु प्रारम्भिक तैयारी के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

9.01 पाठ्य कार्य (course work) सामान्यतः शोध प्रविधि, सांख्यकीय विश्लेषण, कम्यूटर प्रयोग विधियों, सहित संबंधित विषयों में शोध के नवीनतम आयामों, संदर्भ साहित्य के सर्वेक्षण व समीक्षा पर केंद्रित होगा।

9.02 उक्त पाठ्य कार्य हेतु शोधार्थियों की निम्न दो श्रेणियां होंगी

श्रेणी क –
ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्णकालिक शोधार्थी के रूप में शोधकार्य करेंगें।

श्रेणी ख –
ऐसे शोधार्थी जिन्हें सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण किये हुए 5 या इससे अधिक हो चुके हों तथा जो किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/शोध संस्थान मे अध्यापन/शोध कार्य में संलग्न हों अथवा किसी अन्य प्रकार से उच्च शिक्षा/शोध से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हों, बशर्ते कि उनका कुल अध्यापन/कार्य

अनुभव न्यूनतम 5 वर्षो का हो तथा वह वर्तमान में कार्यरत हो, विभागीय शोध समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया के अंतर्गत पाठ्य कार्य पूर्ण करेंगे।

9.03 ऐसा शोधार्थी जो एक बार में पाठ्य कार्य सफलता पूर्वक संपन्न नहीं कर पाता है, को एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जा सकता है। किसी भी दशा में पाठ्य कार्य(course work) हेतु दो से अधिक अवसर प्रदान नहीं किये जायेंगे।

9.04 पाठ्य कार्य (course work) के दौरान शोधार्थी द्वारा स्वयं चिन्हित शोध समस्या (research problem) पर आधार पत्र तैयार कर विभागीय शोध समिति के समक्ष उसका प्रस्तुतीकरण किया जायेगा।

9.05 पाठ्य कार्य सफलता पूर्वक संपादित करने वाले शोधार्थी द्वारा स्वयं चिन्हित शोध समस्या (research problem) की रूपरेखा (synopsis) विकसित कर विभागीय शोध समिति के समक्ष उसका प्रस्तुतीकरण किया जायेगा।

9.06 उपरोक्त प्रस्तुतीकरण पर विभागीय शोध समिति की अनुशंसा अथवा उसके सुझावों के अनुसार शोधकर्त्ता द्वारा शोधकार्य की रूपरेखा (synopsis) आवश्यक संशोधन कर सम्बन्धित विषय की शोध उपाधि समिति के विचारार्थ व स्वीकृति हेतु विश्वविद्यालय के शोध अनुभाग में जमा की जायेगी।

9.07 प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये पाठ्य कार्य (course work) में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। विशेष परिस्थितियों में सम्बन्धित विद्याशाखा के निदेशकों द्वारा उपस्थिति में अधिकतम 5 प्रतिशत तथा कुलपति द्वारा अधिकतम 10 प्रतिशत की छूट दी जा सकती है। प्रत्येक विभाग द्वारा इस हेतु उपस्थिति पंजिका में नियमित रूप से उपस्थिति ली जायेगी।

9.08 शोध उपाधि समिति की स्वीकृति के उपरांत ही सम्बन्धित शोध समस्या (research problem)पंजीकृत मानी जायेगी। तथापि पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि का आंकलन पंजीकरण तिथि से किया जायेगा।

9.09 शोधकार्य की प्रगति की छःमाही समीक्षा आवश्यक होगी। इस हेतु शोधकर्त्ता प्रत्येक छः माह में विभागीय शोध समिति जिसमें कुलपति द्वारा नामित एक प्राध्यापक व निदेशक शोध भी शामिल होंगे, के समक्ष अपने शोधकार्य की प्रगति का प्रस्तुतीकरण करेगा।

10.0 विभागीय शोध समिति (डी.आर.सी.)

शोध कार्य सम्पादित कराने वाले प्रत्येक विभाग द्वारा एक विभागीय शोध समिति का गठन किया जायेगा जिसका स्वरूप निम्नवत् होगा–

• विद्या शाखा का निदेशक--	अध्यक्ष
• सम्बन्धित विभाग का विभागाध्यक्ष–	संयोजक
• सम्बन्धित विद्या शाखा के अध्यापक–	सदस्य
• कुलपति द्वारा नामित किसी अन्य विद्या शाखा का अध्यापक–	सदस्य

11.0 शोध उपाधि समिति (आर.डी.सी.)

शोध कार्य सम्पादित कराने वाले प्रत्येक विषय हेतु एक शोध उपाधि समिति का गठन किया जायेगा। जिसका स्वरूप निम्नवत् होगा–

• सम्बन्धित विद्या शाखा का निदेशक	समिति का अध्यक्ष
• सम्बन्धित विभाग का अध्यक्ष	संयोजक
• सम्बन्धित विभाग के समस्त अध्यापक जो जो शोध निर्देशन हेतु अर्ह हों	सदस्य
• कुलपति द्वारा नामित संबंधित विषय के दो बाह्य परीक्षक जिनमें से एक की उपस्थिति अनिवार्य होगी	सदस्य
• निदेशक शोध	सदस्य

12.0 शोध ग्रन्थ प्रस्तुतीकरण हेतु पूर्व परीक्षा

शोधार्थी द्वारा मूल्यांकन हेतु शोध ग्रन्थ प्रस्तुत करने से पूर्व शोध निर्देशक व विभागीय शोध समिति के समक्ष शोध ग्रन्थ की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु पूर्व प्रस्तुतीकरण परीक्षा आयोजित की जायेगी।

पूर्व प्रस्तुतीकरण परीक्षा में शोध ग्रन्थ मूल्यांकन हेतु उपयुक्त पाये जाने की दशा में ही अन्तिम मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। यदि विभागीय शोध समिति शोध ग्रन्थ के कार्य से सन्तुष्ट न हो अथवा उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन प्रस्तावित करे तो अभ्यर्थी को सुझाये गये संशोधनों/परिवर्तनों को शोध ग्रन्थ में समाहित करना होगा तथा विभागीय शोध समिति के समक्ष पुनर्प्रस्तुत कर मूल्यांकन हेतु संस्तुति प्राप्त करनी होगी।

13.0 पीएचडी पाठ्यक्रम हेतु शोध अवधि

पीएचडी पाठ्यक्रम हेतु शोध समयाअवधि न्यूनतम 2.5 वर्ष तथा अधिकतम 05 वर्ष होगी। विशेष परिस्थितियों में शोधार्थी के आवेदन पर कुलपति द्वारा शोध अवधि में अधिकतम एक वर्ष का अतिरिक्त विस्तार दिया जा सकता है।

14.0 बाह्य परीक्षक द्वारा शोध ग्रन्थ का मूल्यांकन

प्रत्येक शोध ग्रन्थ विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यांकन एवं टिप्पणी हेतु दो बाह्य परीक्षकों को भेजा जायेगा। इस हेतु शोध उपाधि समिति के संयोजक तथा शोध निर्देशक द्वारा संबंधित विशिष्टीकरण के 5–5 बाह्य परीक्षकों की सूची विश्वविद्यालय को उपलब्ध करवाई जायेगी तथा कुलपति द्वारा प्रत्येक सूची से एक–एक विशेषज्ञ को बाह्य परीक्षक के रूप में नामित किया जायेगा।

14.01 बाह्य परीक्षक शोध ग्रन्थ का मूल्याकंन कर इस आशय की संस्तुति देंगे कि शोध ग्रन्थ स्तरीय है और उसे यथावत् स्वीकार किया जा सकता है/अथवा उनके द्वारा इंगित सुझावों के अनुरूप शोध ग्रन्थ में संशोधन के उपरान्त स्वीकार किया जा सकता है/ अथवा शोध ग्रन्थ के अध्याय विशेष का पुनर्लेखन किया जाय /अथवा शोध ग्रन्थ स्वीकार करने योग्य नहीं है। यदि किसी एक बाह्य परीक्षक द्वारा शोध ग्रन्थ को अस्वीकार करने की संस्तुति की जाती है तो ऐसी स्थिति में शोध ग्रन्थ मूल्याकन हेतु तीसरे बाह्य परीक्षक को भेजा जायेगा।

14.02 शोध ग्रन्थ पर दोनों बाह्य विशेषज्ञो से शोध ग्रन्थ को स्वीकार किये जाने सम्बन्धी आख्या मिलने के उपरान्त मौखिकी (viva) आयोजित की जायेगी। मौखिकी में सम्बन्धित विषय के विभागाध्यक्ष, विभागीय शोध समिति के सदस्य तथा कुलपति द्वारा नामित एक बाह्य परीक्षक सम्मिलित होगा। बाह्य परीक्षक व अन्य सदस्यों द्वारा मौखिकी के संतोषजनक/असंतोषजनक पाये जाने की संस्तुति की जायेगी।

14.03 मौखिकी असंतोषजनक पाये जाने की दशा में संबंधित शोधार्थी को तीन माह के अन्तराल के उपरान्त पुनः मौखिक परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया जायेगा। परन्तु यह अनुमति किसी भी दशा में दो बार से अधिक नहीं दी जायेगी। दो अतिरिक्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी यदि कोई शोधार्थी मौखिकी उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसे शोध उपाधि हेतु अयोग्य माना जायेगा।

15.0 शोध उपाधि प्रदान किये जाने हेतु अर्ह होना

15.01 ऐसा प्रत्येक शोध अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की शोध उपाधि हेतु अर्ह माना जायेगा जिसने शोध ग्रन्थ हेतु आयोजित मौखिकी (viva) सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली हो और जिसे उक्त उपाधि प्रदान किये जाने की परीक्षक मंडल द्वारा संस्तुति की गई हो। संस्तुति के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुये उपाधि प्रदान की जायेगी।

15.02 शोध अभ्यर्थी द्वारा शोध ग्रन्थ की तीन टंकित तथा एक सॉफ्ट प्रति पी.डी.एफ.फार्मेट में विश्वविद्यालय में जमा की जायेंगी।

15.03 शोध अभ्यर्थी अपने शोध अध्ययन की अवधि में कम से कम एक शोधपत्र इम्पेक्ट फैक्टर वाली किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं/ एनएएएस इम्पेक्ट फैक्टर वाली शोध पत्रिकाओं /आईएसएसएन नम्बर वाली शोध पत्रिकाओं/भारतीय अथवा विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रकाशित शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित करेगा।

15.04 प्रत्येक स्वीकृत किये गये शोध ग्रन्थ की टंकित तथा इलेक्ट्रानिक प्रति विश्वविद्यालय पुस्तकालय में संदर्भ हेतु संकलित रहेगी। शोध ग्रन्थ का इलेक्ट्रानिक संस्करण सार्वजनिक निरीक्षण के लिए विश्वविद्यालय के पुस्तकालय पोर्टल में भी उपलब्ध रहेगा।

15.05 शोध कार्य के सफलतापूर्वक सम्पन्न किये जाने तथा शोध उपाधि समिति की संस्तुति के उपरान्त शोध ग्रन्थ की एक इलेक्ट्रानिक प्रति इन्फ्लिबनेट (INFLIBNET) हेतु 45 दिन के भीतर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित की जायेगी।

15.06 उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण कर लेने के पश्चात ही विश्वविद्यालय द्वारा शोध अभ्यर्थी को इस आशय का अस्थाई प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा कि उक्त पीएचडी उपाधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानक एवं दिशानिर्देश–2009 के अनुसार प्रदान की गयी है।

16.0 बाह्य परीक्षक हेतु देय मानदेय एवं यात्रा भत्ता

शोध ग्रन्थ के मूल्यांकन के लिये बाह्य परीक्षक को ₹ 2000/मानदेय तथा अनुमन्य यात्रा भत्ता देय होगा। पुनर्मूल्यांकन की दशा में मानदेय की राशि ₹ 1000/ होगी, परन्तु यदि किसी वाह्य परीक्षक द्वारा पुनर्मूल्यांकन की सहमति नहीं दी जाती तो दूसरे बाह्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकन किये जाने पर मानदेय की राशि ₹ 2000/होगी। मौखिकी (viva) हेतु बाह्य परीक्षक के लिये मानदेय ₹ 2000/ देय होगा। दूसरी बार मौखिकी (viva) लिये जाने की स्थिति में मानदेय की राशि ₹ 1500/होगी।

17.0 पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए शुल्क निर्धारण

पीएचडी पाठ्यक्रम हेतु लिया जाने वाला शुल्क निम्नवत होगा –

(अ) प्रवेश हेतु आवेदन पत्र का शुल्क–	₹/ 500
(ब) प्रवेश परीक्षा का शुल्क–	₹ /2000
(स) पंजीकरण तथा पाठ्य कार्य शुल्क–	₹/6500
(द) प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय वर्ष के लिये शुल्क–	₹/6500 प्रति वर्ष
(य) शोध ग्रन्थ मूल्यांकन शुल्क–	₹/5000

18.0 पीएचडी पाठ्यक्रम अध्यादेश 2011 में संशोधन

विश्वविद्यालय स्तरीय शोध हेतु, समय–समय पर जैसा कि आवश्यक प्रतीत हो विद्या परिषद् व कार्य परिषद् के अनुमोदन पर पीएचडी पाठ्यक्रम अध्यादेश 2011 के प्रावधानों में संशोधन कर सकेगा।

Approved

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की
शोध समिति की बैठक दिनांक 3 अक्टूबर 2011 का कार्यवृत

आज दिनांक 3 अक्टूबर 2011 को पूर्वाह्न 11.00 बजे उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की शोध समिति की बैठक प्रो. आर.सी. पंत, पूर्व कुलपति, कुमाऊं विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे–

1. प्रो. आर.सी. पंत, पूर्व कुलपति, कुमाऊं विश्वविद्यालय– बाह्य विशेषज्ञ
2. प्रो. एच. पी. शुक्ला, निदेशक, भाषा एवं मानविकी विद्याशाखा– सदस्य
3. प्रो. आर. सी. मिश्रा, निदेशक, प्रबंध एवं वाणिज्य विद्याशाखा तथा कुलसचिव– सदस्य
4. प्रो. रोमेश वर्मा, शिक्षा विज्ञान विद्याशाखा
5. प्रो. नेमपाल सिंह, कृषि एवं वानिकी विज्ञान विद्याशाखा
5. प्रो. जे. के. जोशी, निदेशक, शिक्षाविज्ञान विद्याशाखा
6. प्रो. गिरिजा पाण्डे,, निदेशक, शोध एवं निदेशक सामाजिक विज्ञान विद्याशाखा

कार्यवृत

1. सर्वप्रथम कुलसचिव प्रो. आर. सी. मिश्रा द्वारा शोध समिति की बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया।
2. तत्पश्चात प्रो. गिरिजा पाण्डे,, निदेशक, शोध द्वारा पीएच.डी पाठ्यक्रम अध्यादेश–2011 के प्रारूप का प्रस्तुतीकरण किया गया।
3. पीएच.डी पाठ्यक्रम अध्यादेश–2011 के प्रारूप पर प्रो. आर.सी. पंत द्वारा सुझाव दिया गया कि इस अध्यादेश को **शोध उपाधि अध्यादेश** नाम दिया जाय तथा इसमें डी.लिट् पाठ्यक्रम को भी शामिल किया जाय। सभी सदस्यों द्वारा उक्त सुझाव स्वीकार किया गया।

4. प्रो. आर. सी. मिश्रा ने सुझाव दिया कि अध्यादेश के प्रावधान संख्या **2.0** के अन्तर्गत पीएच.डी पाठ्यक्रम हेतु बिन्दु **2.1** और डीलिट् पाठ्यक्रम हेतु बिन्दु **2.2** के अन्तर्गत अलग से नियमों का उल्लेख किया जाना उचित होगा। बिन्दु **2.2** के अन्तर्गत डीलिट् पाठ्यक्रम हेतु व्यवस्थायें बाद में जोड़ी जा सकती हैं।

5. सदस्यों द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय परिनियमावली में प्राध्यापक के लिये अध्यापक शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः इस अध्यादेश में अध्यापक शब्द का प्रयोग किया जाना उचित होगा।

6. पीएच.डी पाठ्यक्रम अध्यादेश–2011 के प्रारूप में उक्त सुझावों के अनुरूप संशोधन किये गये और समस्त सदस्यों द्वारा संशोधित प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

अन्त में निदेशक, शोध द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किये जाने के साथ शोध समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

(डा. गिरिजा पाण्डे)
निदेशक,शोध
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

शोध उपाधि अध्यादेश समिति की बैठक आज दिनांक 03/10/2011 को प्रातः 11:00 बजे विश्वविद्यालय सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे –

1.	प्रो0 आर. सी. पन्त, बाह्य विशेषज्ञ	अध्यक्ष	RCPant
4.	प्रो0 जे. के. जोशी,	सदस्य	Joshi
3.	प्रो0 आर. सी. मिश्र,	सदस्य	03/10/11
4.	प्रो. रोमेश वर्मा	सदस्य	3/10/11
5.	प्रो0 एच. पी. शुक्ल	सदस्य	
6.	प्रो0 गिरिजा पाण्डे	संयोजक एवं निदेशक शोध	

(01)

विभाग
पत्रावली सं०

टीपें एवं आख्या
Notes & Order

<u>कुलसचिव / कुलपति जी</u>

कार्यपरिषद की तृतीय बैठक दिनांक 21.05.2011 में शोध उपाधियों के लिए प्रख्यापित किये जाने वाले अध्यादेश पर विचार एवं अंतिम रूप दिये जाने हेतु निम्न विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गयी हैः–

1. प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र।
2. प्रोफेसर एच0पी0 शुक्ल।
3. प्रोफेसर दुर्गेश पंत।
4. प्रोफेसर आर0सी0 पंत, पूर्व कुलपति, कुमायूँ विश्वविद्यालय।
5. कुलपति द्वार नामित शोध विशेषज्ञ।

शोध उपाधि पाठ्यक्रम आगामी सत्र से प्रारंभ हो रहा है। अस्तु पाठ्यक्रम हेतु अध्यादेश को अंतिम रूप दिया जाना होगा ताकि प्रवेश आदि के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना संभव हो सके। समिति में कुलपति द्वारा एक शोध विशेषज्ञ नामित किया जाना है, अतः कुलपति द्वारा नामांकन किया जाना वांछनीय है जिससे समिति की बैठक आहूत की जा सके।

31.05.2011

R/1907
04/6/11

कुलपति जी
कृपया एक बाह्य सदस्य के नामांकन हेतु।
04/6/11

VC/1574
04/6/11

Prof J K Joshi may be included special invitee
Prof S.P. Singh Ret VC Garhwal University
04/06/11

Vice Chancellor